

यायालय तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला-अजमेर

न्य

राजस्व मुकदमा नं.

01/2024

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 91

अनवान

राज. भू राजस्व अधि. 1956

सरकार जरिये प0ह0

बनाम श्री

मुत्र श्री

जाति

निवासी

निर्णय

दिनांक 3/2/2024

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी
पुत्र श्री जाति निवासी उपस्थित होकर
अतिक्रमण छोड़ने हेतु निवेदन किया। अतः मामला निर्णित किया जाता है।

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि ग्राम के आराजी
खसरा नं. 157 किस्म रकबा पर से
कर अप्रार्थी ने कब्जा कर लिया गया है। जिसकी रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्राप्त होने
पर मामला अन्तर्गत 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस
से तलब किया गया। अप्रार्थी उपस्थित होकर अतिक्रमण करना स्वीकार कर छोड़ने का निवेदन किया।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी को ग्राम की आराजी खसरा नं. 157
किस्म रकबा से बेदखल किया जाता है तथा लगान
का गुणा रुपये जुर्माना किया जाता है तथा अप्रार्थी
को विवादग्रस्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का प्रश्नगत आराजी
पर खड़ी फसल को निलामी कर फर्द स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करें।

पटवारी /टी.आर.ए. मांग कायमी कर वसूली करें तथा विवादित भूमि पर से अप्रार्थी को भौतिक रूप से
बेदखल कर कब्जा लेकर रिपोर्ट पेश करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाय गया। मुकदमा नम्बर से कम हो पत्रावली बाद पूर्ति संग्रह



वर्ष 2020-21 का वसूली का मुकदमा संख्या
77 पर 15/- की मांग
कायमी की गई।
तहसीलदार रूपनगढ़ (अजमेर)

तहसीलदार
रूपनगढ़ (जिला-अजमेर)